अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. लल्लूराम पुत्र स्व. नाथूराम
2. राधेश्याम पुत्र स्व. नाथूराम
3. जगदीश पुत्र स्व. नाथूराम
4. हरसहाय पुत्र स्व. छोटूराम उर्फ छोटेलाल
5. सीताराम पुत्र स्व. छोटूराम उर्फ छोटेलाल
6. रामजीलाल पुत्र स्व. छोटूराम उर्फ छोटेलाल
7. शंकर लाल पुत्र रामकिशोर
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीनगर पाटन तह. बस्सी।

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीदार बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर 80/17 दिनांक 08.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट पाटन में पेश हुई। वादीगण उपस्थित। वादीगण की पहिचान सरपंच ग्राम पंचायत पाटन ने की है। वादीगण ने हस्ताक्षर करने से मना किया। वादीगण के वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ठिकाना मंदिर की तरफ से ही वादीगण को रिहायश के लिये ग्राम श्रीनगर तहसील बस्सी जिला जयपुर अर्सा लगभग 100 वर्ष पहले आराजी ख.नं. 220 गैर मुमकिन बंजड जो मंदिर के नाम से ही दर्ज थी मंदिर के द्वारा वादीगण के पूर्वजों की रिहायश के लिये दी गई थी। जिसमें वादीगण के पूर्वजो ने खाम मकान बना रखे थे अपने मवेशी वगैरह बांधते थे तथा मवेशियों के लिये चारा फूँस आदी रखते थे। अभी कुछ रोज पहले वादीगण को कार्यालय तहसीलदार बस्सी से नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें वादीगण को नोटिस के जरिये सूचित किया गया की वादीगण ने खसरा नं. 44/3 में अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। इस पर वादीगण न्यायालय में उपस्थित हुये तथा दस्तावेज पेश करने के लिये समय मांगा। वादीगण ने राजस्व विभाग में जानकारी की तो पता चला की साबिक ख.नं. 220 व 220/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा जो पूर्व में मंदिर श्री जमवायमाताजी के नाम से खातेदारी में दर्ज थी तथा एकीकरण के दौरान उक्त आराजी को सहवन से खालसा करके सिवाय चक लगानी दर्ज कर दिया गया था। परंतु बाद में उक्त आराजी सहवन से चारागाह में दर्ज कर दिया गया। वास्तव में उक्त आराजी कभी चारागाह रही ही नही है हमेशा खातेदारी में रही है तथा उक्त आराजी में ही वादीगण के पूर्वजों ने आराजी के खातेदारी की सहमति व स्वीकृति से खाम मकान बनाकर रहना शुरु किया था जो लगभग 100 वर्षो से बिना किसी बाधा व परेशानी के आज तक निवास करते आ रहे है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा की वादीगण के पास उक्त आराजी में स्थित मकान बाडे आदि के अलावा अपने व अपने पशुओ के लिये अन्य कोई जगह नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मंजुर फरमाया जाकर वादीगण को उनकी आराजी साबिक ख. नं. 320 स्थित ग्राम श्रीनगर, तहसील बस्सी जिसके हाल ख.नं. 44/3 है जो कि पूर्व में ठिकाना मंदिर श्री जमवायमाता जी के नाम से खातेदारी में दर्ज थे। जिसको सहवन से चरागाह(गोचर) में दर्ज हो गई है। जो निरस्त फरमाया जाकर वादीगण को उनके सैकडो साल के बिना किसी बाधा के चले आ रहे है। कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तगार घोषित किया जावे। साथ ही प्रतिवादी को पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण को उनके सैकडो साल के

निवास के आधार पर बेदखल नहीं करे तथा ना ही उनके उपयोग–उपभोग में कोई बाधा डाले। खर्चा मुकदमा व अन्य अनुतोष जो वादीगण के हक में माननीय न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण से दिलवाई जाने की कृपा करें।

वादीगण को केम्प कोर्ट पाटन में सुना गया। तहसीलदार बस्सी से केम्प कोर्ट स्थल पर रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार ग्राम श्रीनगर के हाल ख.नं. 44/3 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि एकीकरण से पूर्व ख.नं. 220 माफी मंदिर श्री जमुआ माता जी अहतमात पुजारी नाथूलाल वल्द शंकरलाल श्योशंकर वल्द डूंगरसी कौम ब्राहमण स्व. गोपालगढ नाम भोक्ता तथा कृषक मकबूजा ठिकाना लगानी इन्द्राज दर्ज थी। एकीकरण संवत 2019 में उक्त भूमि का ख.नं. 44/3 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि सिवाय चक बिला लगानी किस्म बंजड दायका दर्ज है, जिसका किस्म परिवर्तन होने पर भूमि चरागाह में दर्ज की गई। उक्त आराजी ख.नं. 44/3 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि वर्तमान में चरागाह दर्ज है। मौका स्थिति के अनुसार उक्त आराजी भूमि ग्राम की मुख्य आबादी भूमि से लगती स्थित है जिसमें वादीगण ने लगभग 30 वर्षो से पुख्ता मकानात एवं पशु बाडा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ हैं। जिनके खिलाफ नियमानुसार भु.रा.अधि. की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती रही है। वादी सरकारी भूमि पर अतिक्रमी है। अतः वाद खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा कथन रहा है कि वादग्रस्त भूमि हमेशा वादीगण की खातेदारी में रही है किन्तु वादी द्वारा खातेदारी साबित करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नही किया। कैम्प कोर्ट में तहसील कार्यालय में वादग्रस्त भूमि से संबंधित उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड (पुराना व वर्तमान) का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण की खातेदारी कभी नहीं रही। वादीगण को वाद पत्र पर सुनने के पश्चात एवं तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट एवं लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त भूमि हाल ख.नं. 44/3 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा स्थित ग्राम श्रीनगर तहसील बस्सी जिला जयपुर की भूमि की किस्म पूर्व में माफी मंदिर की एवं वर्तमान में चरागाह होना साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी मांग रहे है जिसके सम्बन्ध में 2011(2) RRT 721 बोर्ड ऑफ रेवन्यू की फुल बेंच के द्वारा उनवान जगदीश बनाम श्री सीताराम के रेफरेन्स टी.ए. नं. 2964/ Jaipur of 1997 के निर्णयानुसार **"No Tenancy right can be conferred on the basis of adverse possession"** बोर्ड ऑफ रेवन्यू के उक्त निर्णय के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना न्यायोचित नही है अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरुप नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 08.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट पाटन में मजमे आम में सुना गया।

8-5-18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. लल्लूराम पुत्र स्व. नाथूराम
2. राधेश्याम पुत्र स्व. नाथूराम
3. जगदीश पुत्र स्व. नाथूराम
4. हरसहाय पुत्र स्व. छोटूराम उर्फ छोटेलाल
5. सीताराम पुत्र स्व. छोटूराम उर्फ छोटेलाल
6. रामजीलाल पुत्र स्व. छोटूराम उर्फ छोटेलाल
7. शंकर लाल पुत्र रामकिशोर

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम श्रीनगर पाटन तह. बस्सी।

बनाम

1. राज. सरकार जरिये तहसीदार बस्सी।

दावा बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

दिनांक 08.05.2018

मुकदमा नम्बर 80 / 17

वादग्रस्त भूमि हाल ख.नं. 44 / 3 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा स्थित ग्राम श्रीनगर तहसील बस्सी जिला जयपुर की भूमि की किस्म पूर्व में माफी मंदिर की एवं वर्तमान में चरागाह होना साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी मांग रहे है जिसके सम्बन्ध में 2011(2) RRT 721 बोर्ड ऑफ रेवन्यू की फुल बेंच के द्वारा उनवान जगदीश बनाम श्री सीताराम के रेफरेन्स टी.ए. नं. 2964 / Jaipur of 1997 के निर्णयानुसार "No Tenancy right can be conferred on the basis of adverse possession" बोर्ड ऑफ रेवन्यू के उक्त निर्णय के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना न्यायोचित नही है अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरुप नहीं होने से खारिज किया जाता है। ....निजी..................मुबलिक......................बाबत.. खर्चा.. इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 08.05.2018 को जारी किया गया।

दस्तख्त..................
8.5.18
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मोहर

ओहदा..............................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता		

contd —2

वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर